कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं: हि.अ.8(7)/2023/हिंदी पखवाड़ा/ 1542 दिनांक: 31/7/25

सेवा में,

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त(मुख्यालय)/निदेशक, पीडीनास/अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल)/अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्र.से.प्र.)
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रभारी अधिकारी(क्षेत्रीय कार्यालय/आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान एवं उप-आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान)

विषय: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी कार्यालयों में 14 सितंबर, 2025 से 29 सितंबर, 2025 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित करने के संबंध में।

संदर्भ: सुश्री अंशुली आर्या, भा.प्र.से., सचिव, भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का दिनांक 15.07.2025 के अर्ध-शासकीय पत्र संख्या 11034/06/2025-राजभाषा(नीति)

महोदया /महोदय,

जैसाकि आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर , 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था तथा तबसे 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से दिनांक 15.07.2025 का अर्ध-शासकीय पत्र संख्या 11034/06/2025-राजभाषा(नीति) (प्रति संलग्न) प्रांस हुआ है जिसके अनुसार 14 सितंबर, 2025 को हिंदी दिवस तथा 14 एवं 15 सितंबर, 2025 को 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का सम्मिलित आयोजन महात्मा मंदिर कंवेंशन एवं एग्जिबिशन सेंटर, गांधी नगर, गुजरात में किया जाएगा।

2. साथ ही, संगठन के सभी कार्यालयों में 14 सितंबर से 29 सितंबर, 2025 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में कार्य करने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगिताएं भी

आयोजित की जाएंगी। हिंदी दिवस का शुभारंभ 14 सितंबर,2025 को गांधी नगर, गुजरात में होगा तथा समापन 29 सितंबर, 2025 को संबंधित कार्यालय में होगा।

3. तदनुसार, संगठन के मुख्यालय सहित सभी आंचलिक कार्यालयों को निदेश दिए जाते हैं कि वे अपने अंचल में स्थित कार्यालयों से राजभाषा कैडर के दो अधिकारियों/कर्मचारियों का गांधी नगर, गुजरात में होने वाले हिंदी दिवस तथा 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में सम्मिलित होना सुनिश्चित करें और इसकी सूचना मुख्यालय को भेजें ।

4. इसके अतिरिक्त संगठन के सभी कार्यालयों में 14 सितंबर से 29 सितंबर, 2025 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया जाए और हिंदी पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं:

क्रम संख्या	प्रतियोगिता का नाम	पुरस्कार की राशि			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	प्रोत्साहन पुरस्कार
i.	हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता	₹ 5,000/-	₹ 3,000/-	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-
ii.	विचार प्रतियोगिता	₹ 5,000/-	₹ 3,000/-	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-
iii.	हिंदी निबंध प्रतियोगिता	₹ 5,000/-	₹ 3,000/-	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-
iv.	राजभाषा प्रतियोगिता–हिन्दी वर्तनी, राजभाषा अधिनियम–नियम, सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग	₹ 5,000/-	₹ 3,000/-	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-
v.	कंप्यूटर पर हिन्दी का प्रयोग–वर्ड, एक्सल एवं पॉवरपॉइंट	₹ 5,000/-	₹ 3,000/-	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-
vi.	कार्यालय द्वारा स्वविवेक से भी 02 (दो) अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकता है।	₹ 5,000/-	₹ 3,000/-	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-

5. प्रतियोगिता के आयोजन की तिथि/कार्यक्रम सभी कार्यालयों द्वारा अपनी-अपनी सुविधानुसार निर्धारित किया जा सकता है।

6. इन प्रतियोगिताओं के साथ निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:-

क) केवल हिन्दी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता [क्रम संख्या (i)] तथा हिन्दी निबंध प्रतियोगिता [क्रम संख्या (iii)] में हिन्दी भाषी और गैर हिन्दी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अलग-अलग प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्रोत्साहन पुरस्कार रखे जाने हैं। जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगू, मलयालम, बांग्ला, उड़िया, कन्नड़ या असमिया आदि है, उन्हें गैर-हिन्दी भाषी प्रतियोगी माना जाएगा।

ख) केवल कार्यालय के वेतन रोल पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी ही प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

ग) विजेताओं को पुरस्कार देने के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि यदि किसी 01 कर्मचारी को एक से अधिक प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त होता है, तो उसे केवल वह 2 पुरस्कार दिए जाएं जिनमें उसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। 2 पुरस्कारों के बाद उस कर्मचारी से सर्वश्रेष्ठता क्रम में नीचे आने वाले कर्मचारियों को मौका दिया जाए।

घ) कोई भी प्रतियोगिता केवल तभी आयोजित की जा सकेगी, जब कम से कम 5 प्रतिभागी उसमें अवश्य भाग लें।

ङ) चूंकि उक्त समस्त प्रतियोगिताओं हेतु पुरस्कार राशि बढ़ाने तथा नए दिशा-निर्देश जारी करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि कार्यालय के ज्यादा से ज्यादा अधिकारी/कर्मचारी प्रतियोगिताओं में भाग लें तथा बढ़ी हुई पुरस्कार राशि से लाभांवित हों, अत: अनुरोध है कि उक्त अवधि के दौरान एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिससे समस्त प्रतियोगिताओं में ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी उत्साहपूर्वक भाग लें।

7. इस दौरान राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, राजभाषा संकल्प, 1968 और समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति से संबंधित जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराने के प्रयत्न किए जाएं। सरकारी कार्य में सरल हिंदी के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाए । यह हिंदी सरल, सहज एवं आम जनता की समझ में आने वाली होनी चाहिए। पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए :-

- सभी अधिकारी तथा कर्मचारी अपने आपको इस संकल्प के प्रति समर्पित करें कि वे हिंदी पढ़ने, बोलने व लिखने में अपनी प्रतिष्ठा व सम्मान समझेंगे ।

- हिंदी पखवाड़े के अवसर पर कार्यालयों में हिंदीमय वातावरण बनाने के लिए बैनर आदि लगाए जाएं ।

- सामान्य टिप्पणियों और पत्रादि के मसौदे हिंदी में तैयार किए जाएं। इस दिशा में वरिष्ठ अधिकारी स्वयं हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करके साथी कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करें। इससे हिंदी में कार्य करने की प्रवृत्ति को प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा।

- राजभाषा प्रयोग को बढ़ाने के प्रयासों में सरल और स्वाभाविक हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करें।

- ई-ऑफिस/ई-मेल के माध्यम से हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाए तथा अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाना सुनिश्चित करें।

- हिंदी पखवाड़े के दौरान कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने हेतु एक अपील जारी की जाए।

- सभी अनुभागों की फाइलों/ई-फाइलों आदि में हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं।

- मुख्यालय के अधिकारियों से भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को फाइलों/ई-फाइलों में हिंदी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन के लिए प्रोत्साहित करें तथा स्वयं भी हिंदी में टिप्पणी लिखें एवं हिंदी में हस्ताक्षर करें।

8. आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में मुख्यालय द्वारा जारी अनुदेशों तथा इस विषय में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 15.07.2025 के अर्ध-शासकीय पत्र संख्या 11034/06/2025-राजभाषा(नीति) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाए। हिंदी पखवाड़े की रिपोर्ट, विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा वितरित पुरस्कारों के साथ-साथ नकद पुरस्कार योजना के अंतर्गत वितरित पुरस्कारों के विवरण को शामिल करते हुए विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को dir.ol@epfindia.gov.in पर 15 अक्टूबर, 2025 तक अवश्य भेज दी जाए।

[केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अनुमोदन से जारी]

भवदीय,

अनुलग्नक: यथोपरि

(भास्कर चौर्डिया)
अपर केंदीय भविष्य निधि आयुक्त (मु.)एवं प्रभारी (राजभाषा)

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

i. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के स्टाफ अधिकारी
ii. वि. सलाहकार एवं मु.ले.अधि./मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सचिव।
iii. मुख्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी ।
iv. संयुक्त निदेशक(राजभाषा), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली।
v. क्षे.भ.नि.आ., एन.डी.सी. को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।

(वीणा रानी यादव)
निदेशक (राजभाषा)

अंशुली आर्या, आई.ए.एस.
सचिव
ANSHULI ARYA, I.A.S.
Secretary

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

सत्यमेव जयते

सं. 11034/06/2025-राजभाषा(नीति)

दिनांक : 15 जुलाई, 2025

आदरणीय महोदय / महोदया

आप जानते ही हैं कि संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ से यह अपेक्षा की गई है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी दिवस एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन संविधान की भाषाई समरसता की भावना के अनुरूप किया जा रहा है।

2. माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के मार्गदर्शन में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी दिवस-2024 एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का भव्य आयोजन भारत मंडपम्, नई दिल्ली में किया गया था। दो दिवसीय इस महाकुंभ में देश भर के आठ हजार से अधिक हिंदी प्रेमियों और हिंदी सेवियों ने प्रतिभागिता की। पिछले वर्षों की भाँति इस वर्ष भी हिंदी दिवस एवं 5वे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संयुक्त आयोजन अत्यंत भव्य एवं गरिमामयी रूप में किया जाएगा। **माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में 14 सितंबर, 2025 को हिंदी दिवस तथा 14 एवं 15 सितंबर, 2025 को 5वे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का सम्मिलित आयोजन महात्मा मंदिर कन्वेंशन एवं एग्जिबिशन सेंटर, गांधी नगर, गुजरात में होगा।** प्रसंगवश, यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि राजभाषा विभाग की स्थापना के स्वर्णिम 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 26 जून, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में "राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह" का आयोजन किया गया। इसी उपलक्ष्य में एक अन्य सम्मेलन 11 जुलाई, 2025 को, जीएमसी बालयोगी इनडोर स्टेडियम, हैदराबाद में भी आयोजित किया गया। जिसमें देश भर से आए हिंदी सेवियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया।

3. आपसे अनुरोध है कि सितंबर माह के दौरान अपने मंत्रालय/विभाग में हिंदी माह/पखवाड़ा पूरे उत्साह से मनाएं। इस दौरान सभी अधिकारियों/कार्मिकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें कि वे अधिक से अधिक कामकाज मूलरूप से राजभाषा हिंदी में करें। इसी अवधि के दौरान, राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराएं। कृपया यह भी सुनिश्चित कराएं कि आपके मंत्रालय/विभाग के प्रत्येक कार्यालय में हिंदी दिवस का शुभारंभ 14 सितंबर 2025 को महात्मा मंदिर कन्वेंशन एवं एग्जिबिशन सेंटर, गांधी नगर, गुजरात में हो और समापन आपके कार्यालय आदि में हो।

4. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार, केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम, नियम तथा इनके अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए। इस अवधि के दौरान सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने सभी कार्मिकों को राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, राजभाषा संकल्प, 1968 सहित राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर संघ की राजभाषा नीति से संबंधित जारी दिशा-निर्देशों से अवगत करवाया जाए। सभी अधिकारियों/कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर जाकर हिंदी शब्द सिंधु, ई-पत्रिका पुस्तकालय एवं ई-सरल हिंदी वाक्यकोश

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : (91) (11) 23438266, फैक्स : (91) (11) 23438267, ई-मेल : secy-ol@nic.in

जैसे आईटी उत्पादों का भरपूर लाभ उठाएं। इसके अलावा अधिकारियों/कार्मिकों को, यदि अनुवाद टूल की आवश्यकता हो, तो स्मृति आधारित स्वदेशी अनुवाद सॉफ्टवेयर 'कंठस्थ 2.0' के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

5. आपसे अनुरोध है कि अपने मंत्रालय/विभाग के राजभाषा से जुड़े अधिकारियों एवं मंत्रालय के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को गांधीनगर, गुजरात में होने वाले हिंदी दिवस एवं 5वे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होने का निर्देश दें। कृपया सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों/बोर्डों/ निगमों आदि को भी ऐसे ही निर्देश मंत्रालय की ओर से जारी किए जाएं।

शुभेच्छु

अं आर्या

(अंशुली आर्या)

<u>भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव</u>